रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3619] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940
No. 3619] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4773(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 479 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए है;

और, पटना पक्षी अभयारण्य, जिला मुख्यालय एटा से लगभग 45 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह छोटा है लेकिन उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। इसमें एक प्राकृतिक ताजा छिछला जल की आर्द्रभूमि या झील है। इस क्षेत्र को दिनांक 22 दिसम्बर 1990 को अभयारण्य घोषित करके इसे संरक्षित क्षेत्र (पीए) बनाया गया था। पटना पक्षी अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1.0886 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम पटना ग्राम के नाम पर रखा गया है जिसमें यह पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह अभयारण्य अर्द्ध शुष्क जैव भौगोलिक जोन के बहुत नजदीक है;

और, पटना पक्षी अभयारण्य की झील एक बांध द्वारा दो भागों में विभाजित है जो कि जल नियामक होता था। मुख्य भाग (भाग क) 30 हेक्टेयर के आकार में है और किसी वर्ष अच्छी वर्षा होने पर अप्रैल के अंत तक जब मौसम में पूरी तरह बदलने को होता है इसमें रूका रहता है। यहां झील के भाग क में पानी की पूर्ति के लिए दो बोरिंग हैं ताकि झील की आर्द्र अवधि को लम्बे समय तक बनाकर रखा जा सके। झील का भाग ख भाग क की तुलना में छिछला है और इसका क्षेत्र 15 हेक्टेयर है। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून शुरू होने पर जल-प्लावित हो जाता है और वर्षा की स्थिति के आधार पर इसमें फरवरी के अंत तक या मार्च की शुरूआत तक पानी रहता है;

और, पटना पक्षी अभयारण्य वर्ष में 180 से अधिक पक्षी-प्रजातियों का आश्रय स्थल बना रहता है। आर्द्रभूमि वाला यह पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित होने का भी पात्र था। यह हर वर्ष सर्दियों के दौरान 50,000 से अधिक पक्षियों का आश्रय स्थल बनता है;

और, पक्षी अभयारण्य ग्रे फ्रैंकोलिन (फरांकोलिनुस पोंदीकेरिनुस*), रैन क्यूइल* (कोटुरनिक्स कोरोमेंदेलिका*), ग्रे क्यूइल* (कोटुरनिक्स कोटुरनिक्स*),* समान्य मोर (पवो करिस्टतुस*), ग्रेयलाग बत्तख* (अंसेर अंसेर*), बरहेदेद बत्तख* (अंसेर इंडिकुस*),* रड्डी शेल्डक (टदोरना फेरूगिइया*), कॉम्ब डक* (सरकिदीओरनिस मेलानोटोस*), लेस्सर वास्टलिग टैअल* (देंद्ररोकयगना जवानिका*), पिंटइल* (अनास अकुटा*), समान्य टैल* (अनास करेकका*), स्पोटबिल्लेड डक* (अनास *पेओकिलोरयचा*), *मल्लाद* (अनास पलायरहयनचोस*),गदवाल्ल* (अनास स्ट्रेपेरा*), विगोन* (अनास पेनेलोपे*), गरगनेज* (अनास क्यूरक्यूदूला*), सोवेलेर(अनास कलयटा)* आदि का वास है। जबकि अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण दुर्लभ और संकटापन्न पक्षी प्रजातियां ओरिएंटल व्हाइट बैकड गिद्ध (गयपस बेंगालेंसिस), लोग-बिल्लेड गिद्ध (गयपस इंडिकुस), गरेअटेर स्पोटेड ईगल (अक्यूइला कलांगा), सरूस करेना (गरूस अंटीगोने), ओरिंटल वाइट लबिस (थेरेसकिओरनिस *मेलानोकेफलुस*), लास्सेर फलामिंगो (फोइनोकोप्टरूस मिनोर), और ब्लैक-बिल्लिड टर्न (स्टेरना अकुटिकाउदा). पाई जाती हैं। पक्षी में बृहत संख्या वनस्पति भी समृद्ध है जैसे अधाटोडा (अधाटोडा जेयलानिका*), केरैपिग बेलेफरिस* (बलेफरिस मादेरस्पेटेंसिस*), दीकपटेरा* (दीक्लिपटेरा वेरटीकिल्लाटा*), बेल्ल वैड* (दीप्टेराकंथुस परोस्टराटेस*), पथैरचाता* (लयटरिया अकाउलिस*), हिरय हेमिगराफिस* (हेमिगराफिस हिरटा*), दवारफ हयगरोफिला* (हयग्रोफिला फलयस्पर्मा*), कलि अंगेदी* (पेरिस्ट्रोफे चल्यकुलाटा*), कॉम्ब रूंगिया* (रूंगिया पेकटिनाटा*), सगे लैवेद* (अलांगियम सल्विफोलियम*), बलुंत अरौवेअद* (लिम्नोफयटोन ओबटुसिफोलियम*), परिक्लिय चाफ्फ फ्लोवर* (अचयरांथेस अस्पेरा*), एलिफैंट-*हेड अमारंथ (अमारांथुस ट्रीकोलोर*), ग्रिन अमरंथ* (अमरंथुस विरिदीस*), सॉफ्ट खाकिवैद* (गोमफरेना केलोसिओदेस*), बुद्धा ट्री* (फोल्यालथिना लोंगिफोलिया*)* आदि।

और, पटना पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में एटा पटना पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र तक को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पटना पक्षी अभयारण्य (उ 27°31'35.6" और पू 78°19'12.1") की सीमा से 1 किलोमीटर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 7.3406 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) पटना पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया हैं।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और पटना पक्षी अभयारण्य का मानचित्र सीमा के विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध II क और उपाबंध ख** के रूप में संलग्न है ।

(4) पटना पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** में दिए गए है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 5 ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान बागवानी क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों और मानचित्र के समर्थन के साथ भी सीमाकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के द्वारा समचित विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं को ब्यौरे होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 के सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने का सुनिश्चय किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) उक्त महायोजना स्थानीय समुदाय के सुरक्षित जीव को पार्जन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास विनियमित करेगी।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग क में विनिर्दिष्ट उदेश्य के अलावा कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों के अधीन और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और राज्य सरकार के विनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके

अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार,;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल / रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशा मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. प्रतिषिद्ध विनियमित, और संवर्धित क्रियाकलापों :- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		

1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रकिया।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बहार या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और

		नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ग) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (घ) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन एफ पी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	फर्म, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे

	स्थापना।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी करने के लिए इस अधिसूचना के 3 माह के भीतर एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

1.	जिला मजिस्ट्रेट, एटा	-अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा	–सदस्य;
3.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
4.	कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी एटा	–सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ।	–सदस्य;

6.	जैव विविधता का एक विशेषज्ञ ।	–सदस्य;
7.	कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग, एटा	–सदस्य;
8.	जिला कृषि अधिकारी, एटा	–सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला एटा	–सदस्य;
10.	वन्यजीव वार्डन, एटा	–सदस्य सचिव ।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/14/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चंद्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पटना पक्षी अभयारण्य के लिए अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित किया गया है। इसका आरंभिक बिंदु पूर्व दिशा में पटना ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'47.8" पू 078° 19.0' 17.0") है। यहां से घड़ी की सुई की इसकी सीमा-रेखा दिशा में कृषिभूमि से होते हुए गणेशपुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'25.2" पू 078° 19.0' 33.8") तक जाती है और पुन: कृषिभूमि से होते हुए सरसेला ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'06.6"पू 078° 19.0' 01.8") तक जाती है। कृषिभूमि से गुजरते हुए प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र की सीमा खोजापुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.5'0.6" पू078° 18.0' 15.0") से होकर जाती और एक पक्का छोटा पुल (जीपीएस उ 27°32.0'04.7" पू 078° 18.0' 41.0") पार करके उत्तर दिशा में कृषिभूमि से होते हुए बनवरीपुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'25.2" पू 078° 19.0' 33.8") पहुंचती है और पुन: कृषिभूमि से होते हुए यह आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

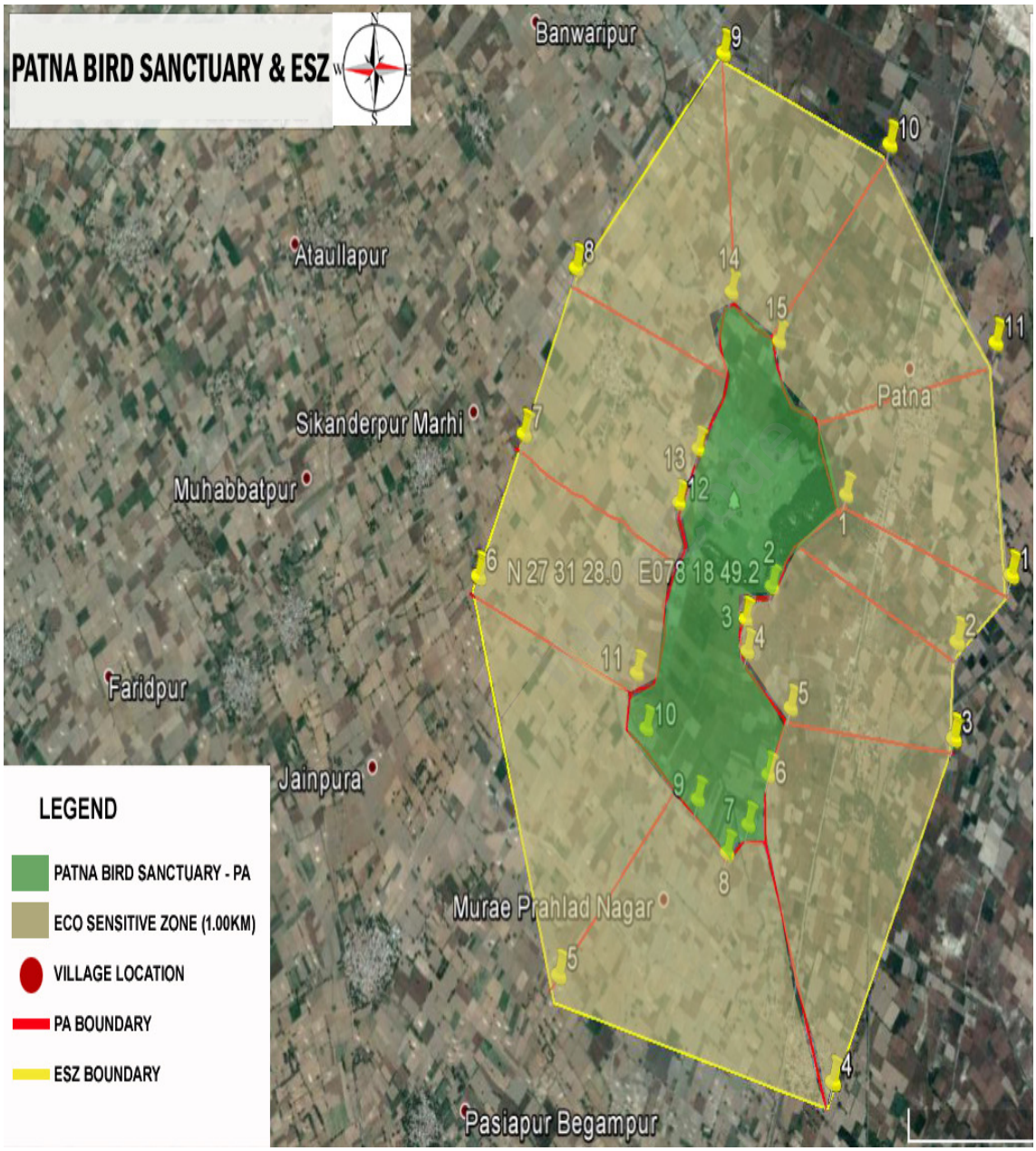
उपाबंध- II क

पटना पक्षी अभयारण्य का गूगल मानचित्र



उपाबंध II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी चित्र



उपाबंध- III

पटना पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	सारणी क: पटना पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक	क्र.सं.	सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू- निर्देशांक
1.	उ 27° 31´ 30.0´´ पू078° 18´ 51.3´´	1.	उ 27°31´29.11´´ पू 78°19´40.38´´
2.	उ 27° 31´ 28.0´´ पू 078° 18´ 49.2´´	2.	उ 27°31´21.01´´ पू 78°19´28.47´´
3.	उ 27° 31´ 24.0´´ पू 078°18´ 43.5´´	3.	उ 27°31´9.35´´ पू 78°19´27.26´´
4.	उ 27° 31´ 20.1´´ पू 078° 18´ 43.8 ´´	4.	उ 27°30´29.36´´ पू 78°19´0.66´´
5.	उ 27° 31´ 13.3 ´´ पू 078° 18´ 52.9 ´´	5.	उ 27°30´41.58´´ पू 78°18´3.95´´
6.	उ 27° 31´ 05.3´´ पू 078° 18´ 48.0´´	6.	उ 27°31´28.96´´ पू 78°17´46.36´´
7.	उ 27° 30´ 59.4 ´´ पू 078° 18´ 43.7 ´´	7.	उ 27°31´46.58´´ पू 78°17´55.86´´
8.	उ 27° 30´ 56.1´´ पू 078° 18´ 39.2 ´´	8.	उ 27°32´7.61´´ पू 78°18´6.94´´
9.	उ 27° 31´ 02.4 ´´ पू 078° 18´ 33.1 ´´	9.	उ 27°32´35.61´´ पू 78°18´39.52´´
10.	उ 27° 31´ 10.8´´ पू 078 °18´ 22.3´´	10.	उ 27°32´23.61´´ पू 78°19´16.21´´
11.	उ 27° 31´ 17.5´´ पू 078° 18´ 20.3´´	11.	उ 27°31´58.07´´ पू 78°19´38.43´´
12.	उ 27° 31´ 38.3´´ पू 078° 18´ 29.4´´		
13.	उ 27° 31´ 45.0´´ पू 078° 18´ 33.6´´		
14.	उ 27° 32´ 04.8´´ पू 078° 18´ 41.0´´		
15.	उ 27° 31´ 58.5 ´´ पू 078° 18´ 51.3´´		

उपाबंध IV

सारणी क: पटना पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची, भू-निर्देशांको सहित

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	अतवालपुर	उ 27°32´12.72´´	पू 78°17´6.24´´
2.	सिकंदरपुर मादी	उ 27°31´51.94´´	पू 78°17´45.99´´
3.	मोहाब्बतपुर	उ 27°31´43.68´´	पू 78°17´10.57´´
4.	जइनपुरा	उ 27°31´8.49´´	पू 78°17´25.64´´
5.	मुदाइ परहलाद नगर	उ 27°30´52.91´´	पू 78°18´26.99´´
6.	पसियापुर बेगमपुर	उ 27°30´28.32´´	पू78°17´45.67´´

IndiaCode

7.	पटना	उ 27°31′57.08′′	पू 78°19′21.06′′
8.	गनेशपुर	उ 27°31′52.34′′	पू 78°19′59.30′′
9.	बंवारीपुर	उ 27°32′42.28′′	पू 78°17′58.40′′

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरे पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4773(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 479 (E) the dated 30th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, No comments,objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS,Patna Bird Sanctuaryis situated about 45 kilometres from the district Head Quarter Etah in the state Uttar Pradesh. It is small but important bird sanctuary in Uttar Pradesh. It comprises of a natural fresh water shallow wetland or lake. The area was brought under Protected Area (PA) by declaring it a sanctuary on 22ndDecembe,1990. The total area of Patna Bird Sanctuary is **1.0886 square kilometres.** It has

been named after the village Patna in which the bird sanctuary is situated. This sanctuary is very close to semi-arid bio-geographical zone.

AND WHEREAS,The lake of Patna Bird Sanctuary is in two parts divided by a dyke which has water regulator. The main Part (Part A) is 30 hectares in size and in a year with good rainfall, water is retained up to end of April when the reverse migration is almost near completion. There are two borings to supplement water into the Part A of the lake so as to prolong the wet period of the lake.The Part B of the lake is shallow in comparison to Part A and its area is 15 hectares. It is inundated with water with the onset of south-west monsoon and depending upon the rainfall it holds water till the end of February or beginning of March.

AND WHEREAS,Patna Bird Sanctuary give shelter to more than 180 species of birds. This wetland based bird sanctuary also qualified for being declared a Ramsar site. Every year it provides shelter to more than 50,000 birds during winter.

AND WHEREAS,The bird sanctuary is the habitat of Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus),* Rain Quail (*Coturnix coromendelica),* Grey Quail (*Coturnix coturnix),* Common Peafowl (*Pavo cristatus),* Greylag Goose (*Anser anser),* Barheaded Goose (*Anser indicus),* Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea),* Comb Duck (*Sarkidiornis melanotos),* Lesser Whistling Teal (*Dendrocygna javanica),* Pintail (*Anas acuta),* Common Teal (*Anas Crecca),* Spotbilled Duck (*Anas peocilorhyncha),* Mallad (*Anas playrhynchos),* Gadwall (*Anas strepera),* Wigeon (*Anas Penelope),* Garganey (*Anas querquedula),* Shoveler (*Anas clypeata)* etc.While important rare and threatened bird species found in the sanctuary are Oriental White-backed Vulture (*Gyps bengalensis*), Long-billed vulture (*Gyps indicus*), Greater Spotted Eagle (*Aquila clanga*), Sarus Crane (*Grus antigone*), Oriental White Ibis (*Threskiornis melanocephalus*), Lesser flamingo (*Phoenocopterus minor*), and Black-bellied tern (*Sterna acuticauda*).The bird sanctuary is also rich in large number flora such as Adhatoda (*Adhatoda zeylanica),* Creeping Blepharis (*Blepharis maderaspatensis),* Dicliptera (*Dicliptera verticillata),* Bell Weed (*Dipteracanthus prostrates),* Patharchatta (*Elytaria acaulis),* Hairy Hemigraphis (*Hemigraphis hirta),* Dwarf hygrophila (*Hygrophila polysperma),* Kali Anghedi (*Peristrophe calyculata),* Comb Rungia (*Rungia pectinata),* Sage Leaved (*Alangium salvifolium),* Blunt Arrowhead (*Limnophyton obtusifolium),* Prickly Chaff Flower (*Achyranthes aspera),* Elephant-Head Amaranth (*Amaranthus tricolor),* Green Amaranth (*Amaranthus viridis),* Soft khakiweed (*Gomphrena celosioides),* Buddha Tree (*Polyalthia longifolia)* etc.

AND WHEREAS,it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Patna Bird Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Patna Bird Sanctuary, Etah in the state of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –**

 (1) The extent of Eco-sensitive Zone is upto **one kilometre** from the boundary of Patna Bird Sanctuary (N 27°31'35.6" & E 78°19'12.1") and the area of Eco-sensitive zone is**7.3406 sq. km**.

 (2) The boundary description of Patna Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure- I.**

 (3) The map of Patna Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IIA-and AnnexureB.**

 (4) The Geo-coordinates of Patna Bird Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

 (5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v)Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii)Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

IndiaCode

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government /State Government as applicable and to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3)Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c)The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d)The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Ptana Bird Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. -Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. -Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change italic notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.— Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. —

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. — The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities: —** All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely: —

TABLE

MediaCode

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a)All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for the manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b)The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

11.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government, within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

1.	District Magistrate, Etah	Chairman;
2.	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Polic,Etah	Member ;
3.	One representative of Non-Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India	Member ;
4.	Executive Engineer of PWD, Etah	Member;
5.	One Expert in Ecology	Member;
6.	One Expert in Biodiversity	Member;
7.	Executive Engineer of Irrigation Department, Etah	Member;
8.	District Agriculture Officer, Etah	Member;
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board District Etah.	Member ;
10.	Wildlife Warden, Etah	Member-Secretary .

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2)The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3)The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4)The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5)The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6)The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7)The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8)The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

For Patna Bird Sanctuary an ESZ of 1km has been proposed all around the sanctuary. The starting point is village Patna (GPS N 27°31.0'47.8" E 078° 19.0' 17.0") in the East direction. From here passing through farmland in clockwise direction it goes to village Ganeshpur (GPS N 27°31.0'25.2" E 078° 19.0' 33.8") again through farmland it goes to village Sarsela (GPS N 27°31.0'06.6" E 078° 19.0' 01.8"). While passing through farmland the proposed ESZ passes village Khojapur (GPS N 27°31.5'0.6" E 078° 18.0' 15.0") and in the North direction after crossing a pucca small bridge (GPS N 27°32.0'04.7" E 078° 18.0' 41.0") it goes through farmland and reaches to village Banwaripur (GPS N 27°31.0'25.2" E 078° 19.0' 33.8") and again passing through farmland it reaches to the Starting point.

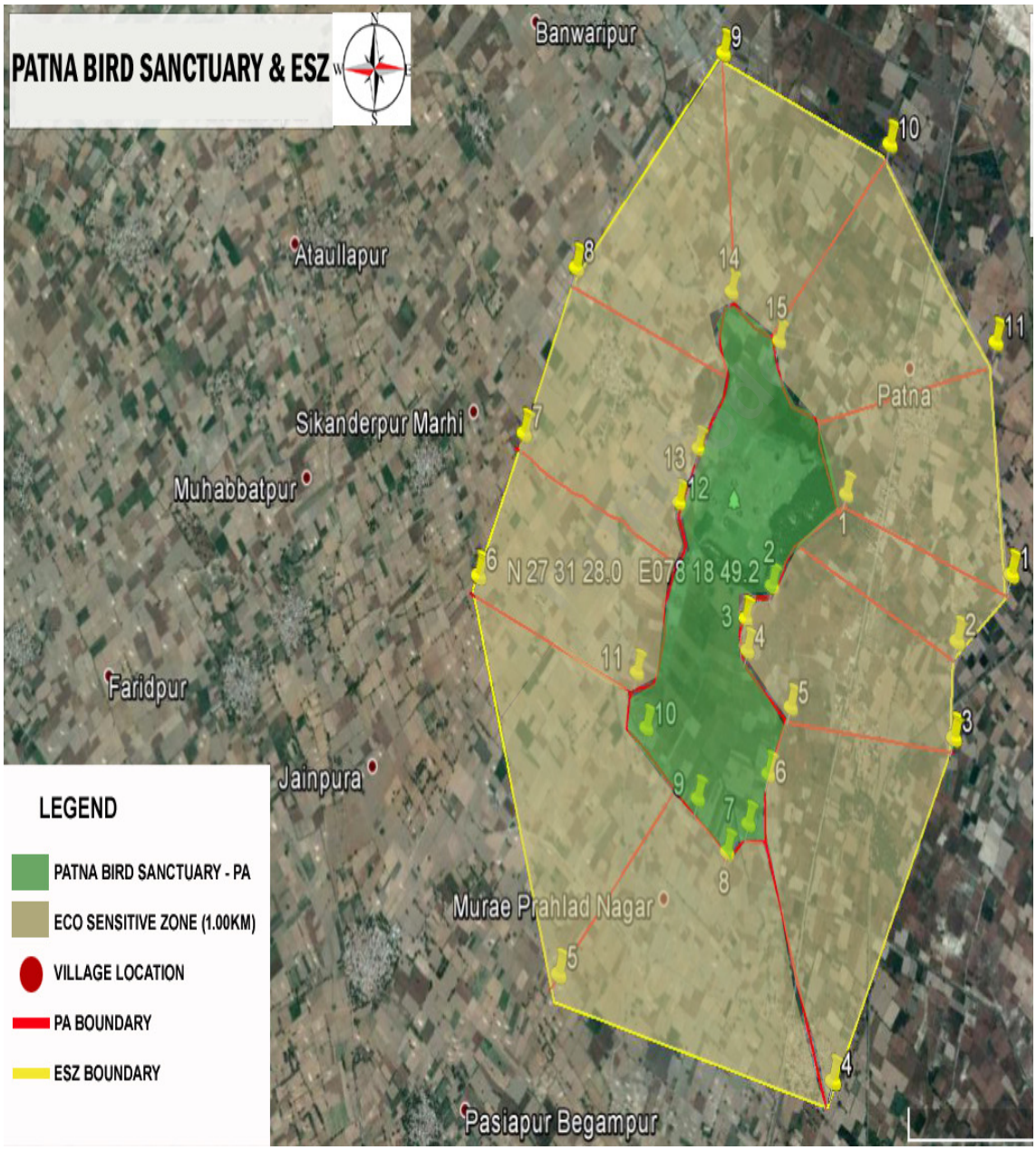
ANNEXURE- II A

GOOGLE MAP SHOWING PATNA BIRD SANCTUARY



ANNEXURE- II B

GOOGLE EARTH IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- III

GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PATNA BIRDS SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Patna Bird Sanctuary	Sl. No.	TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone
1.	N 27° 31´ 30.0´´ E078° 18´ 51.3´´	1.	N 27°31´29.11´´ E 78°19´40.38´´
2.	N 27° 31´ 28.0´´ E078° 18´ 49.2´´	2.	N 27°31´21.01´´ E 78°19´28.47´´
3.	N 27° 31´ 24.0´´ E078°18´ 43.5´´	3.	N 27°31´9.35´´ E 78°19´27.26´´
4.	N 27° 31´ 20.1´´ E078° 18´ 43.8 ´´	4.	N 27°30´29.36´´ E 78°19´0.66´´
5.	N 27° 31´ 13.3 ´´ E078° 18´ 52.9 ´´	5.	N 27°30´41.58´´ E 78°18´3.95´´
6.	N 27° 31´ 05.3´´ E078° 18´ 48.0´´	6.	N 27°31´28.96´´ E 78°17´46.36´´
7.	N 27° 30´ 59.4 ´´ E078° 18´ 43.7 ´´	7.	N 27°31´46.58´´ E 78°17´55.86´´
8.	N 27° 30´ 56.1´´ E078° 18´ 39.2 ´´	8.	N 27°32´7.61´´ E 78°18´6.94´´
9.	N 27° 31´ 02.4 ´´ E078° 18´ 33.1 ´´	9.	N 27°32´35.61´´ E 78°18´39.52´´
10.	N 27° 31´ 10.8´´ E078 °18´ 22.3´´	10.	N 27°32´23.61´´ E 78°19´16.21´´
11.	N 27° 31´ 17.5´´ E078° 18´ 20.3´´	11.	N 27°31´58.07´´ E 78°19´38.43´´
12.	N 27° 31´ 38.3´´ E078° 18´ 29.4´´		
13.	N 27° 31´ 45.0´´ E078° 18´ 33.6´´		
14.	N 27° 32´ 04.8´´ E078° 18´ 41.0´´		
15.	N 27° 31´ 58.5 ´´ E078° 18´ 51.3´´		

IndiaCode

ANNEXURE IV

TABLE A: List of villages falling in PESZ of Patna Bird Sanctuary along with Geo-coordinates

S No	Village Name	Latitude	Longitude
1.	Atawalpur	N 27°32´12.72´´	E 78°17´6.24´´
2.	Sikandarpur Madi	N 27°31´51.94´´	E 78°17´45.99´´
3.	Mohabbatpur	N 27°31´43.68´´	E 78°17´10.57´´
4.	Jainpura	N 27°31´8.49´´	E 78°17´25.64´´
5.	Mudai Prahlad Nagar	N 27°30´52.91´´	E 78°18´26.99´´
6.	Pasiyapur Begampur	N 27°30´28.32´´	E78°17´45.67´´
7.	Patna	N 27°31´57.08´´	E 78°19´21.06´´
8.	Ganeshpur	N 27°31´52.34´´	E 78°19´59.30´´
9.	Banwaripur	N 27°32´42.28´´	E 78°17´58.40´´

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: — Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.18 12:15:26 +05'30'